

## जन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अर्न्तगत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुरुग्राम के कार्यालय में उपलब्ध जन्म के उर्दू रिकार्ड को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए एक उर्दू अनुवादक की आवश्यकता है, जिसके लिए नियम व शर्तें इस प्रकार हैं:-

- 1 आवेदक की शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित संस्थान से उर्दू में एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए।
- 2 उर्दू से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए प्रति केस/ प्रति व्यक्ति अधिकतम 300/- रु0 अदा किया जायेगा, जोकि प्रार्थी द्वारा देय होंगे।
- 3 अनुवादक का सामान्य अस्पताल, गुरुग्राम के कार्यालय के रिकार्ड रूम से प्रार्थी के केस का उर्दू रिकार्ड निकलवाकर उसका हिन्दी में अनुवाद करना होगा।
- 4 अनुवादक को माह में कम से कम दो दिन अपनी सेवाये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुरुग्राम के कार्यालय में देनी होगी।
- 5 आवेदक को यह सुनिश्चित करते हुए प्रमाणित करना होगा कि सामान्य अस्पताल, गुरुग्राम में स्थित उर्दू के मूल रिकार्ड को चैक करने उपरान्त ही हिन्दी अनुवाद किया गया है।

उपरोक्त नियम एवं शर्तों अनुसार इच्छुक उर्दू अनुवादक अपना बायोडाटा सभी आवश्यक दस्तावेज सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी, गुरुग्राम के विकास सदन स्थित कार्यालय में देवे।



State Social Welfare Officer  
GURGAON